


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण
केस संख्या : 281/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी श्री अबू बक्र आर. ए. एस. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता इस कथन से सहमत हैं।</p> <p>उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2004 व उनवानी सरकार बनाम रातीश त्रिपाठी व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री अबू बक्र आर. ए. एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी श्री अबू बक्र आर. ए. एस. का अन्य स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए उनके के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर</p>	